

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector - Nainital

No---

Dated 15/01/2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN


In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.988 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Nainital (name of user agency) for Construction of Shauli - Kaphura motor Road..... (purpose for diversion of forest land) in Nainital district falls within jurisdiction of Satkhal, Chhatiali.....villages in Kashyap tehsil.

- Kutale

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.988..... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexureto...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.



Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT - NAINITAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule
tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Deepak Rawat, I.A.S., deputy commissioner, Nainital on dated at time at in which application claiming rights inKashyay Kutali / area measuring 2.988 hect for the Construction of Batuli - Kaphunia 201 R..... forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Kashyay Kutali sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Nainital

Dated: 15.01.2015

Deputy Commissioner-cum-Chairman
जिला पर्वकारी
District Level Committee

प्रपत्र 23.2

परियोजना का नाम:-

रुप्त सूख सूख प० के अन्तर्गत सर्वेली कफड़ा भोटर मार्ग
का निर्माण (लम्बाई 6.00 किमी)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कोश्मा कुर्हेली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, कोश्मा कुर्हेली

उपखण्ड कोश्मा कुर्हेली परिक्षेत्र के अन्तर्गत सर्वेली - कफड़ा भोटर मार्ग
का निर्माण। इन्हा हे 0 आरक्षित वन भूमि, 2:6775 हे 0 सिविल एवं सोयम वन
भूमि, 3105 हे 0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 2:188 हे 0 वन भूमि के निःख लौगिति
भूमि। प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य
परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय
समिति, (तहसील कोश्मा कुर्हेली) की दिनांक 13.1.15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का
विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
श्री चन्द्रमिंद भट्टेश्वरा उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार
समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार
है:-

- 1- श्री चन्द्रमिंद मतोला उपजिलाधिकारी कोश्मा कुर्हेली *Chandramind Matola* अध्यक्ष
- 2- श्री दिनकर तिवारी उप-प्रभागीय बनाधिकारी *Dinkar Tiwari* उप सदस्य वनाधिकारी (वन अधिकारी, नैनीति विभाग व वनाधिकारी)
- 3- श्री योगेन्द्र बाबू सहायक समाज कल्याण अधिकारी *Yogendra Babu* सदस्य / सचिव
- 4- श्री सदाशील भट्टाचारी बीडी ओरी क्षेत्र *Sadasheel Bhattacharya* बीडीओरी सदस्य *B.D.O.R.*

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी
की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

रुप्त सूख सूख प० के अन्तर्गत सर्वेली - कफड़ा भोटर मार्ग
का निर्माण (लम्बाई 6.00 किमी)

परियोजना हेतु 2:188 हे 0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष
में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के
अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा

सर्वसमिति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय विधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यकता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बद्धी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत कोशली - कफुड़ा परियोजना के निर्माण हेतु २०१४ है० वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग नैनीताल प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

04/13.1.15

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील कोशला कुटौली

जनपद नैनीताल।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील कोशला कुटौली

जनपद नैनीताल।

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम:- **एस०सी०खण्डी के अंतर्गत स्तौली कफूड़ा- मोर्य भार्ग का निर्माण (लम्बाई ६.०० मीटर)**
 वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
 ग्राम पंचायत का नाम-**स्तौली, द्वारा लक्ष्मी कफूड़ा**
 तहसील-**कोशलगंगा, कुटोली, जिला-नैनीताल**

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जिला-**नैनीताल** उत्तराखण्ड में

स्तौली- कफूड़ा- मोर्य भार्ग का निर्माण.....परियोजना के निर्माण हेतु

2.908 हेतु आरक्षित वन भूमि **2.61.5** हेतु सिविल सोयम भूमि **2.6775** वन पंचायत भूमि **0.3105** हेतु अर्थात कुल **2.988** हेतु वन भूमि का निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **उक्तनुसार** द्वारा दिनांक **12/11/15** को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोगता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **उक्तनुसार** के ग्रामवासियों को उद्दत वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हो/-

ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास सचिव

ग्राम पंचायत **लक्ष्मी कफूड़ा**

नोट:- * यदि एकीसी (आदिवासी) अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रधान

हो/-

ग्राम पंचायत- **कफूड़ा कुमारी**

ग्राम प्रधान

विठ्ठल- रामगढ़ (नैनीताल)

प्रपत्र 23.1

दिनांक 12/11/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत स्तरखोल, दूर्ली स्वें कफुष

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	गोपाल राम द्वारा द्वारा	
2.	बोधन अंडेश कोपेश द्वारा	
3.	शीता देवी	
4.	शुभर चंद्र देवी	
5.	चंद्रेन अस्त्री	
6.	दीपांकोदारी	
7.	मनोज गोपाल द्वारा	
8.	दिवाकर राम	
9.	केशव यम द्वारा	
10.	दिव्यकर अंडेश	 Divyakar Andesh
11.	मनी राम	
12.	दिव्यदीप अंडेश	
13.	गोपाल राम	